



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1942 (श०)

संख्या-135 राँची, गुरुवार,

18 फरवरी, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी, 2021

अधि.सं.-01/न.वि./आरोप-01/2016/ 577 -- नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-4076 दिनांक-26.07.2016 द्वारा राँची नगर निगम को श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राँची नगर निगम, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध गठित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

राँची नगर निगम के पत्रांक-1054 दिनांक-28.07.2017 द्वारा श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, राँची नगर निगम के विरुद्ध गठित आरोपों के संबंध में विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित किया गया।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राँची नगर निगम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

- श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता, राँची नगर निगम द्वारा नक्शा संबंधित कार्य श्री शेखर कुमार नामक बाहरी व्यक्ति द्वारा कराया जाता है।
- श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता की अलमीरा की चाबी श्री शेखर कुमार के पास रहती है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, राँची नगर निगम के विरुद्ध सरकारी नियमों के विपरीत कार्य करने एवं अनुशासहीनता से संबंधित गठित आरोपों एवं चलाये गये विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी.) के तहत पेंशन की अनुमान्यता राशि से 5% राशि की कटौती प्रतिमाह किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
4. यह आदेश सद्यः प्रस्ताव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोहर मराण्डी,
सरकार के संयुक्त सचिव।
